

—: आदेश :-

गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना सं०-9339, दिनांक-25.08.2006, ज्ञापांक-1896, दिनांक-05.03.2014 एवं पत्रांक-5444, दिनांक-22.06.2018 के आलोक में दिनांक-18.07.2019 को संपन्न जिला नियोजन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आधार पर चौकीदार के रिक्त पद पर मैट्रिक उत्तीर्ण वेतनमान-5200-20200 ग्रेड पे-1800 तथा समय-समय पर सरकार द्वारा अनुमान्य अन्य शर्तों के अधीन निम्नांकित अभ्यर्थियों को आदेश में अंकित शर्तों के अधीन चौकीदार के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है :-


क्र० सं०	नियुक्त अभ्यर्थी का नाम एवं पिता का नाम	स्थायी पता	शैक्षणिक योग्यता	कोटी	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि	स्वैच्छिक सेवानिवृत्त चौकीदार का पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6	7
1	सुबोध पासवान, पिता रामु पासवान,	ग्राम डकरा, थाना अकबरपुर, जिला नवादा	माध्यमिक बोर्ड	अनु० जाति	31.07.2019	अंचल कार्यालय अकबरपुर
2	विनोद यादव पिता श्री रामचन्द्र यादव	ग्राम पूर्णाडीह थाना मेसकौर, जिला नवादा	मैट्रिक	पिछड़ा वर्ग	31.07.2019	अंचल कार्यालय मेसकौर
3	नरेन्द्र कुमार पिता साधु शरण सिंह	ग्राम अषाढी, थाना वो जिला नवादा।	स्नातक	सामान्य	31.07.2019	अंचल कार्यालय नवादा
4	राजीव रंजन, पिता दुलारचन्द यादव	ग्राम+पो०-बागी वरडीहा, थाना वारिसलीगंज जिला नवादा।	इन्टरमीडि एट	पिछड़ा वर्ग	31.07.2019	अंचल कार्यालय वारिसलीगंज
5	भोली पासवान, पिता राम बालक दुसाध	ग्राम+पो०- पकरीवरावाँ, थाना पकरीवरावाँ, जिला नवादा।	मैट्रिक	अनु० जाति	31.07.2019	अंचल कार्यालय पकरीवरावाँ

शर्तें :-


1. नियुक्ति पत्र प्राप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर अपना योगदान प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, नवादा के समक्ष समर्पित करना है।
2. योगदान के समय असैनिक शैल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नवादा द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है।
3. योगदान के समय सभी प्रकार के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना है।
4. दहेज नहीं लेने-देने संबंधी शपथ पत्र जो कार्यपालक दण्डाधिकारी के न्यायालय से निष्पादित हो, प्रस्तुत करना है। शपथ पत्र में यह भी अंकित करना होगा कि विवाहित होने की स्थिति में पति/पत्नी की जीवित रहते हुए दूसरा विवाह नहीं करेंगे।
5. किसी भी अपराधिक मुकदमा अथवा वाद में संलिप्तता नहीं रहने से संबंधित कार्यपालक दण्डाधिकारी के कार्यालय से निर्गत एक शपथ पत्र योगदान के साथ समर्पित करना है।
6. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है। नियुक्ति के उपरान्त यदि कभी भी आपके द्वारा समर्पित शैक्षणिक योग्यता या अन्य प्रमाण पत्रों में कोई धोखाधड़ी या जालसाजी पायी गई तो कारण पृच्छा मांगकर आपको सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



7. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियुक्त व्यक्ति के आश्रित को इस परन्तुक का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।
8. योगदान के समय अपना दो पासपोर्ट साईज का फोटो प्रस्तुत करना है।
9. योगदान के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
10. चरित्र का सत्यापन आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर पुलिस अधीक्षक, नवादा के माध्यम से कराया जायेगा। अगर पुलिस अधीक्षक, नवादा द्वारा प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो नियुक्ति रद्द करते हुए नियम संगत कार्रवाई की जायेगी।

  
 29/10  
 जिला पदाधिकारी  
 नवादा।

- ज्ञापांक ..... 836 ..... /सा.०, दिनांक 29/10/19.....
- प्रतिलिपि:- सभी संबंधित नवनियुक्त चौकीदारों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सभी अंचल अधिकारी/सभी थानाध्यक्ष, नवादा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, नवादा/उप विकास आयुक्त, नवादा/अपर समाहर्ता, नवादा/अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर/रजौली/कोष गार पदाधिकारी, नवादा/रजौली/श्री राजवर्द्धन, वरीय उप समाहर्ता, नवादा/जिला स्थापना उप समाहर्ता, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, नवादा को सूचनार्थ एवं जिला गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (NIC)/जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं जिले के Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आयुक्त के सचिव, मगध प्रमंडल गया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सरकार के अवर सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- रक्षी संचिका के लिए।

  
 29/10  
 जिला पदाधिकारी  
 नवादा।